

फार्म

क्रमांक.....

अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2013

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 1985 पेत्रक भूमि

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम..... डी.पी. बडकुर
 2. वर्तमान धारित पद अधीक्षण अभियंता
 3. कार्यालय का नाम अति.उच्च दाब-निर्माण, वृत्, म.प्र.पा.टॉ.कं.लि. भोपाल
 4. वर्तमान वेतन ₹ 58,690/- + ₹ 7,600/--
 5. भविष्य निधि क्रमांक 23137309
 6. कर्मचारी संख्या 93420668 डीपीबी

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ग्राम नोनिया बरेली	निरंक	कृषि भूमि 12 एकड़	10.50 लाख	स्वयं के नाम पर	पेत्रक भूमि	50,000/-	निरंक
2. शालिमार एनक्लेव भोपाल	एम.आई.जी. प्लेट 830 वर्गफीट	निरंक	25 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 1990 में शालिमार बिल्डर से क्रय	निरंक	मंडल से ऋण /अनुमति प्राप्त कर क्रय किया एवं वर्तमान में विक्रय कर दिया है
3. 90 आंकाक्षा एनक्लेव बावड़िया कला भोपाल	एच.आई.जी. डुप्लेक्स	निरंक	30.50 लाख	स्वयं के नाम पर	वर्ष 1998 में मै. अनुपम चतुर्वेदी बिल्डर्स भोपाल से क्रय	निरंक	बैंक से ऋण प्राप्त कर क्रय किया
4. ग्राम बावड़िया कला भोपाल	निरंक	प्लॉट 35 X 80	21.50 लाख	स्वयं एवं पत्नी के संयुक्त नाम पर	वर्ष 2011 में श्री गांतम भोपाल से क्रय किया	निरंक	कृषि आय एवं बचत से तथा पूर्व प्लॉट के विक्रय से प्राप्त राशि से क्रय किया एवं क्रमांक 2 की सम्पत्ति के विक्रय उपरान्त भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम डी.पी. बडकुर
 पद अधीक्षण अभियंता
 पता डी-1 एम.पी.ई.बी. कालोनी, सेफिया कालेज रोड, भोपाल

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें तत्कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक पदस्थ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।